सख्या–689 / उन्तीस(2)09–2(59पे0) / 2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09 सितम्बर, 2010

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में वाह्य सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल की रूडियाली ग्राम समूह पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 459 / एस0डब्लूएसएम डी0पी0आर फाईल / 2009–10 दिनांक 31 मार्च 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैप आधारित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये जनपद पौडी की रूडियाली ग्राम समूह पेयजल योजना अनु0लागत रू0 155.08 लाख पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यतपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 129.29 लाख (रू0 एक करोड उन्तीस लाख उन्तीस हजार मात्र) के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश संख्या **562 / उन्तीस(2) / 10–2(37पे0) / 08 दिनांक 14.06.10 द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में अवमुक्त रू0 30.00 करोड़ में से** चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में वाह्य सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरो के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एंव भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भलीभॉति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि

कमशः 2

स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

11– योजनाओं की स्वीकृत लागत में किसी प्रकार का सेन्टेज देय नहीं होगा।

12– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एंव कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

14– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

15– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

16– वर्णित धनराशि का व्यय अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–97–वाह्य/विश्वबैंक सहायतित–02–वाह्य/विश्वबैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एंव पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना(द्वितीय चरण)(2215–01–101–9702 से स्थानान्तरित)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें पुस्तांकित की जायेगी।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 391/XXVII(2) /2010, दिनांक 01 सितम्बर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या–689 (i)/उन्तीस(2)/10–2(59पे0)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढवाल।
3– निजी सचिव, सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन, देहरादून ।
5– वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7– वित्तअनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन
8– संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल।
9– आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
10– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्राक्कलन में हुई कटौतियों को नोट करलें।
12– निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, देहरादून।
13– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
14– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
15– गार्ड फाईल।
16– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव